

१.५.२५

पशावली पेची में ली गई। बहल उभयपक्ष  
 लुनीगई। विभाजन प्रस्ताव पर सहमति  
 व्यक्त की। बाद में मुताबिक विभाजन  
 प्रस्ताव को रद्द डिक्री किया जाता  
 है विभाजन प्रस्ताव - चक्र १०५५५५५  
 को दोड़कर डिक्री किया गया।  
 पर्या डिक्री जारी है। आदेश खुले  
 न्यायालय में लुनाया जाकर पशावली  
 नंबर से कर की जाकर काबिल  
 कर का जारी है आदेश  
 सुनाया गया।

वर्ति  
 सहायक कलेक्टर  
 एवं अपायण्डाधिकारी  
 हनुमानगढ़

